हरियाणा सरकार

हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

दिनांक 21 अगस्त, 2009

संख्या 7/2/2009-2टी॰सी॰पी॰.—हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम 13) की धारा 38क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899, हरियाणा राज्यार्थ के अधीन भुगतान योग्य स्टाम्प शुल्क के अतिरिक्त, शुल्क की दर एक प्रतिशत अधिसूचित करते हैं।

डी० एस० ढेसी,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

HARYANA URBAN DEVELOF MENT AUTHORITY

Notification:

The 21st August 2009

No. 7/2/2009-2TCP.—In exercise of powers conferred by Sub-section (2) of Section 38A of the Haryana Urban Development Authority Act, 1977 (Act 13 of 1977), the Govern or of Haryana hereby notifies the rate of duty as one percent, in addition to the stamp duty payable under the Indian S amp Act, 1899, as applicable in State of Haryana.

D.S. DHESI,

Financ al Commissioner and Principal Secretary to

Government Taryana, Town and Country Planning Department.